न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 127 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. हुकमाराम पुत्र सिमरथाराम जाति जाट निवासी सियोलो की बेरी तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा जिला बाड़मेर	1. प्रेमाराम पुत्र बालाराम का.मु. 1/1गोकला पुत्र प्रेमाराम 1/2टीकुराम पुत्र प्रेमाराम 1/3लुभाराम पुत्र प्रेमाराम 1/4रम्भा पत्नी प्रेमाराम 2. कानाराम पुत्र बालाराम 3. गुलाराम पुत्र बगताराम 4. अर्जुनराम पुत्र बालाराम का.मु. 4/1भगाराम पुत्र अर्जुनराम 4/2हराराम पुत्र अर्जुनराम 5. अनु पत्नी गोकलाराम जाति जाट निवासी सियोलो की बेरी तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा 6. तहसीलदार गुड़ामालानी हाल नोखड़ा

अपोल अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2010 बउनवान पेमाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम अर्जुनराम के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2022 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रामेश्वर दवे अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील बी.एल. रामावत उतरदाता की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 03 के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 576 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 577 रकबा 58.09 बीघा, खसरा संख्या 601 रकबा 114.05 बीघा मौजा सियालो की बेरी एवं खेत खसरा संख्या 495 रकबा 45.11 बीघा, खसरा संख्या 496/1 रकबा 64.10 बीघा मौजा खड़ियाली नाडी में आये हुए हैं। जिसमें स्वर्गीय वालाराम के पांचों पुत्रों अर्जुन, बगता, समरथा, पेमा व काना प्रत्येक का हिस्सा 1/5—1/5 था। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण अपना 1/5—1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजित है तथा कब्जे की स्थिति वादीगण के संलग्न नक्शानुसार है। वादीगण ने विधिवत तौर से विभाजन करने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन पेश किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 02 स्वर्गीय सिमरथा के वारीसान मौके पर हाजिर न आने के कारण यह विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता पड़ी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को मौके पर हाजिर होने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा न ही अपीलकर्ता की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण कर जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अपीलकर्ता के जहां कब्जा बताया गया है वह जमीन धोरे की जमीन है। एवं उसका वहां पर कोई कब्जा भी नहीं था। विभाजन प्रस्ताव एकतरफा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय यह बताया गया कि पक्षकारों को नोटिस दिया गया जबकि मौका रिपोर्ट के अन्दर पक्षकारों को नोटिस देने की दिनांक खाली छोड़ रखी है जिससे साबित होता है कि पक्षकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपीलकर्ता ने पिछले 60 सालों से जो मौखिक रूप से बंटवारा किया हुआ था उसके अनुसार वह काबिज था वह उसने अपनी हिस्से की भूमि को काफी रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है वह उसकी उपजाऊ भूमि अन्य काश्तकारों को दी गई है वह इस संबंध में अपीलकर्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज भी पेश किया था। लेकिन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उसका एतराज बिना किसी कारण बताये खारिज कर दिया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं होने की वजह से उत्तरदातागण द्वारा भी मौके की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में विभाजन के वक्त रही त्रुटि को मौका रिपोर्ट मंगवाकर सुधारा नहीं जा सकता। मौका रिपोर्ट बाबत आवेदन खारिज करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जाना उचित होगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई। अपीलांट के अलावा समस्त पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। मात्र अपीलांट दुर्भावना से गलत व बेबूनियाद आधारों पर अपील पेश की गई। प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 07 सी पी सी वास्ते मौका रिपोर्ट तलब करने पेश कर निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव में मौके की जमीन की भौतिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी जिससे न्यायनिर्णय में असुविधा हो रही है। इसलिए खसरा संख्या 601 मौजा सियोलो की बेरी धोरे की भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की जाये ताकि न्यायालय को न्यायनिर्णय में भी सुविधा हो सके। यदि न्यायालय मौका रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझते हैं तो हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 41 नियम 27 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत प्रारम्भिक डिक्री पारित की थी।

(नवनीत ...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रत्यर्थीगण का कब्जा जहां पर स्थित है उसी अनुरूप विभाजन प्रस्ताव में उनका कब्जा चिन्हित होना चाहिए। लेकिन प्रत्यर्थीगण ने बहुत ही चालाकी से अपने वाद पत्र तथा पूर्व में प्रस्तुत अपील जिसमें उनका स्वयं का स्वीकारोक्ति की उनका उक्त खसरान की भूमि में मौखिक बंटवारा हो चुका है एवं उसी अनुरूप काबिज है तथा खसरा संख्या 601 की कृषि भूमि को अपने हक व कब्जे में होना बताते हुए भूमि का समर्पण किया गया है। उक्त मीमो ओफ अपील तथा उक्त अपील में हुआ निर्णय दिनांक 30.05.2014 जो जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा पारित किया गया है कि सत्यापित प्रतिलिपियों को रेकर्ड पर लिया जाना अत्यंत आवश्यक व न्याय संगत है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 01.12.2024 तहसीलदार, नोखड़ा में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश की पालना में तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट से विभाजन प्रस्ताव एकतरफा बनाया गया जिसकी ताईद हो रही है। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त के संबंध में फोंटो पेश किये गये हैं। अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात पेश किये जो अपील से संबंधित है। उक्त दस्तावेजात सत्यापित प्रतिलिपियां को रेकर्ड पर लिए जाने के आदेश पारित फरमावें। जो न्यायालय को न्यायिक निर्णय पारित करने में सहायता प्रदान करेंगे। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे तथा संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा पेश दस्तावेजात अपील के निस्तारण में सहायक नहीं है। प्रार्थना–पत्र के संलग्न फॉटो को पत्रावली पर कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील में अंतिम बहस के समय पर पेश दस्तावेजात प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से पेश किये गये। अपीलांट द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई। अपीलांट द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किये गये हैं वे दस्तावेज महत्वहीन है। अतः अपीलांट का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनने एवं एवं प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात प्रकरण के अंतिम निस्तारण में सहायक है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को पत्रावली पर पेश करना अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री दिनांक 11.09.2020 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर पक्षकारान की ढाणियां, चारबाड़े तथा कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के अनुसार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। हस्तगत अपील में उत्तरदातागण द्वारा मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु आवेदन पेश किया गया। उभयपक्षकरान के मध्य विवाद विभाजन प्रस्ताव को लेकर है। विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार नहीं होने से उसे सही करवाने हेतु अपील के स्तर पर मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना विधि सम्मत नहीं है। मौका रिपोर्ट का आवेदन खारिज किया जाता है। अपीलांट को उसकी कृषि भूमि पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने पर तहसीलदार नोखड़ा को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मौके की वास्तु स्थिति जांच करने का निवेदन किया गया जिस पर दिनांक 01.12.2024 को तहसीलदार के आदेशानुसार राजस्व अधिकारी द्वारा मौके पर आकर कब्जा काश्त उक्त खसरान बाबत देखा गया। उक्त मौका रिपोर्ट में विभाजन प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट में कब्जा काश्त भिन्न आया है। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2010 बउनवान पेमाराम के कायम मुकाम वगैरह बनाम अर्जुनराम के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2022 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 18 से 21 के प्रावधान एवं राजस्व मंडल द्वारा बंटवारे के प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

21.04.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे। हस्तगत प्रकरण/वाद पुराना होने से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए मूल वाद की पत्रावली प्राप्त होने की दिनांक से प्रकरण का अधिकतम दो माह में निस्तारण करे।

8/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर